फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

बल्लू / रघुनाथ

[illegible] 3/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29.9.25	पत्रावली पेश हुई। प. क. उप. पत्रावली साविक ...... आगामी पेशी आदेश........ दिनांक 7/10/2025 को पेश हो।	
7.10.2025	पत्रावली प्रस्तुत। [illegible] प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 9 - धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर दावा पुनः नम्बर पर लिया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया, पत्रावली फैसला शुमार होकर संलग्न दावा रहे। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:07:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 3/2025

बल्लूराम बनाम रघुनाथ
प्रार्थना पत्र बाजदायरी अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 संपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता एवं धारा 5 मियाद अधिनियम

उपस्थिति :–

(1) प्रदीप कुमार शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
(2) हेमन्त सोगानी –अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/5, 2, 3 व 4 की ओर से

दिनांक 07.10.2025

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 संपठित धारा 151 सीपीसी पेश हुआ। हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय हाजा में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर० टी० एक्ट० के प्रावधानों के तहत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था जो वाद संख्या 107/2011 बउनवानी बल्लूराम व अन्य बनाम रघुनाथ वगैरह विचाराधीन रहते हुए दिनांक 02.01.2025 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज हो गया। प्रार्थीगण–वादीगण अपने उक्त वाद की पैरवी जरिये अधिवक्ता कर रहे थे और उनके अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को हिदायत दी की राजस्व प्रकरण में पक्षकार को हर पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, वाद में वादी की साक्ष्य पूरी हो चुकी है तथा प्रतिवादी की साक्ष्य पूरी होने पर बहस अन्तिम वकीलसाहब ही करेंगे इसलिए अब आने की आवश्यकता नहीं है और निर्णय होने पर आपको सूचित कर बुला लिया जावेगा इस कारण प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता की राय से संतुष्ट होकर न्यायालय में आना बन्द कर दिया और अपने खेती के कार्य में व्यस्त हो गए। प्रार्थीगण काश्तकार व्यक्ति हैं तथा अपने कृषि कार्यों में व्यस्त रहते हैं जब लम्बे समय तक वकीलसाहब ने प्रतिवादीगण की साक्ष्य होने और निर्णय के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी और प्रार्थीगण वकीलसाहब के द्वारा दिए गए आश्वासन पर भरोसा कर वकीलसाहब से भी नहीं मिले। काफी इन्तजार के बाद भी वकीलसाहब ने कोई सूचना नहीं दी तो प्रार्थीगण दिनांक 16.04.2025 को अपने वकील साहब से मिलने के लिए आये और उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी चाही तो वकील साहब ने उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01. 2025 को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज होना बताया जिसपर प्रार्थीगण ने माननीय न्यायलय में जाकर पत्रावली का अवलोकन के लिए रीडरसाहब से निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:07:33 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

जिसपर रीडरसाहब ने पत्रावली ढूँढ कर बताया कि उक्त प्रकरण दिनांक 02.01.2025 बहस के लिए उनके वकील साहब उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थीगण के अपने अन्य परिचित वकील के माध्यम से नकल प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 16.04.2025 को ही प्रस्तुत कराया और 17.04.2025 नकल प्राप्त होने पर वकील साहब ने नकलों का अवलोकन कर और विस्तृत जानकारी प्रार्थीगण को दी और उनकी राय के अनुसार प्रार्थीगण ने श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र अविलम्ब प्रस्तुत किया है उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थियों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना न्यायसंगत है तथा इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण देरी माफ करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता के जरिये उक्त प्रकरण की नियमित पैरवी कर रहे थे प्रार्थीगण ने प्रकरण की पैरवी करने में जानबूझकर कोई लापरवाही व उदासहीनता नहीं बरती है। प्रकरण की पैरवी हेतु प्रार्थीगण तैयार एवं तत्पर है पूर्व में उक्त प्रकरण वकीलसाहब के द्वारा बहस नहीं किये जाने के कारण श्रीमान द्वारा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया है जिसमें प्रार्थीगण की कोई लापरवाही व कोई गलती नहीं है वकीलसाहब की गलती के लिए प्रार्थीगण को दण्डित किया जाना न्यायसंगत नहीं है इसी कारण दावा रेस्टोर किया जाकर बहस सुनकर अन्तिम निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। उक्त वाद में प्रार्थीगण के हक व अधिकारों का निर्धारण होना है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार तय होने हैं प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष की सम्पूर्ण साक्ष्य पेश की गई है तथा प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है प्रकरण अन्तिम बहस के लिए ही नियत था किन्तु प्रार्थीगण के वकीलसाहब के द्वारा बहस नही की गई और माननीय न्यायालय ने दावा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया है यदि दावा गुणावगुण निर्णित नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपने हक व अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा इसलिए न्याय हित में दावा पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर भी माननीय न्यायालय को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए प्रार्थीगण द्वारा उचित व सदभावी कारण अंकित किया है और साथ ही देरी क्षमा किये जाने [illegible] र्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर [illegible] है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा उपरोक्त उनवानी [illegible] 02.01.2025 अपास्त किया जावे तथा उपरोक्त उनवानी वाद पुनः नम्बर पर लिया [illegible] कर गुणावगुण पर निर्णित फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:07:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन बाजदायरी का जवाब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6 की ओर से प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र के

पैरा संख्या 1 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किये गये हैं, पूर्णतः गलत, आधारहीन तथा मनगढ़न्त है तथा उनसे इनकार है। वादीगण / प्रार्थीगण ने यह अंकित ही नहीं किया है कि कब उनके अभिभाषक महोदय ने उन्हें ऐसा कोई आश्वासन दिया कि उन्हें न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में वादीगण / प्रार्थीगण के अभिभाषक महोदय ने उन्हें ऐसा कोई आश्वासन दिया जाना सत्य प्रतीत नहीं होता। वादीगण की ओर से दावे की पैरवी पूर्ण होने के पश्चात् उक्त दावा दिनांक 9–7–2024 को ही वास्ते अंतिम बहस हेतु निर्धारित कर दिया गया था। दावे की पैरवी के दौरान वादीगण उपस्थित रहे हैं और अपनी ओर से साक्ष्य भी प्रस्तुत की है, ऐसी अवस्था में उनके द्वारा किया गया यह कथन कि प्रतिवादी की साक्ष्य पूर्ण होने पर जब प्रकरण अंतिम बहस हेतु निर्धारित होगा, तब वे उन्हें सूचित कर देंगे, उससे पूर्व उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है, पूर्णतः गलत व निराधार है, अन्यथा भी दावे में की जाने वाली समस्त अग्रिम कार्यवाही की जानकारी रखना स्वयं वादीगण का दायित्व था, जिस दायित्व को पूर्ण ना किये जाने की कार्यवाही को किसी भी प्रकार से सद्भाविक करार नहीं दिया जा सकता। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित तथ्य पूर्णतः गलत है तथा उनसे इनकार है। माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अधिकांश दावों में पक्षकार काश्तकार पेशा ही होते हैं, जो अपने कृषि कार्यों में व्यस्त रहते हैं परन्तु कृषि कार्यों में कभी इतनी अधिक व्यस्तता नहीं रहती कि पक्षकार अपने अभिभाषक महोदय से फोन पर भी सम्पर्क नहीं कर सके। वादीगण के अभिभाषक महोदय श्री विजय कुमार शर्मा के पास तो मोबाइल फोन भी उपलब्ध है, जिनसे वे सभी अभिभाष्यों से नियमित रूप से सम्पर्क करते हैं और अभिभाषक महोदय से सम्पर्क करने का दायित्व स्वयं वादीगण का था जिसे पूर्ण ना करना सद्भाविक करार नहीं दिया जा सकता, अभिभाषक महोदय द्वारा निर्णय के संबंध में सूचना देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था क्योंकि दावा तो अंतिम बहस हेतु निर्धारित था, जिसमें अभिभाषक महोदय को ही अंतिम बहस करनी थी और ऐसी स्थिति में वादीगण के लिये आवश्यक था कि वे अपने अभिभाषक महोदय से सम्पर्क कर दावे में अंतिम बहस पूर्ण कराने की प्रभावी कार्यवाही सम्पन्न कराते। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किये गये हैं, गलत है तथा उनसे इनकार है। प्रार्थीगण ने यह अंकित ही नहीं किया है कि उनके अभिभाषक महोदय ने कब उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि वे स्वयं उपस्थित होते रहेंगे और आपके आने की आवश्यकता नहीं है और वादीगण ने अपने अभिभाषक से सूचना प्राप्त होने का कितने समय तक इन्तजार किया और दिनांक 26–4–2025 को ही वे अपने अभिभाषक महोदय से मिलने किस आधार पर आए। वादीगण / प्रार्थीगए। ने अपने आवेदन में यह स्वीकार किया है कि उनके अभिभाषक महोदय ने उन्हें दिनांक 26–4–2025 को ही दिनांक 2–1–2025 को ही दावे के अदम हाजरी में खारिज हो जाने की जानकारी दे दी। एक ओर तो प्रार्थीगण ने यह जाहिर किया कि अभिभाषक महोदय ने उन्हें स्वयं ने ही दिनांक 2–1–2025 को उक्त दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो जाने की दे दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:07:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर आमेर वृ. जयपुर

और दूसरी ओर प्रार्थीगण ने अपने आवेदन में यह अंकित किया है कि उन्होंने न्यायालय में जाकर रीडर महोदय से पत्रावली का अवलोकन किये जाने का अनुरोध किया और रीडर महोदय ने पत्रावली को तथाकथित "ढूंढकर" बताया कि उक्त दावा तो दिनांक 2–1–2025 को बहस हेतु नियत था और अभिभाषक महोदय के उपस्थित ना होने की वजह से ही उक्त दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किये गये हैं. गलत, परस्पर विरोधाभासी हैं तथा उनसे इनकार है। जब वादीगण के अभिभाषक उनके कथनानुसार व वादीगण की सुविधानुसार उन्हें आश्वासन देते रहे, तब किसी अपने परिचित अभिभाषक महोदय के माध्यम से दिनांक 16–4–2025 को ही आवेदन प्रस्तुत करने का क्या आधार था और दिनांक 17–4–2025 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के पश्चात् उन्होंने यह आवेदन किस आधार पर और अधिक विलम्ब के साथ प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण ने आवेदन बाजदायर अत्यधिक विलम्ब के साथ प्रस्तुत किया है और आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को माफ किये जाने के कोई समुचित कारण आवेदन में दर्ज ही नहीं है, जिनके आधार पर विलम्ब को माफ किये जाने के संबंध में कोई आदेश पारित किया जा सकता हो। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 में वर्णित तथ्य गलत है तथा उनसे इनकार है। जब वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अंतिम बहस हेतु निर्धारित हो जाता है, उसके पश्चात् वादीगण एवं उनके अधिवक्ता महोदय द्वारा दावे की पैरवी ना करना, किसी भी प्रकार से न्यायोचित करार नहीं दिया जा सकता, अभिभाषक महोदय द्वारा दावे की पत्रावली के अंतिम बहस हेतु निर्धारित होने के पश्चात् भी अभिभाषक महोदय द्वारा बहस ना किये जाने का कोई कारण आवेदन में दर्ज ही नहीं है और वादीगण एवं उनके अधिवक्ता द्वारा की गई गलती के आधार पर प्रतिवादी पक्ष के पक्ष में जो निर्णय पारित किया जा चुका है, उसे निरस्त किये जाने का और दावे को पुनः नम्बर पर कायम किये जाने का किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 में तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किये गये हैं, गलत है तथा उनसे इनकार है। वादीगण द्वारा जो वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, वह अपने आप में ही पूर्णतः निराधार था और वर्ष 2011 से ही प्रार्थीगण बिना किसी आधार व औचित्य के प्रतिवादीगण को दावा प्रस्तुत कर हैरान व परेशान कर रहे हैं औ जब प्रकरण अंतिम बहस हेतु निर्धारित हो गया, तब उसके पश्चात् भी उनके द्वारा दावे की बहस ना किया जाना किसी भी प्रकार से सद्भावी करार नहीं दिया जा सकता और न्यायालय के समक्ष उक्त दावे को अदम हजारी में खारिज किये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प ही नहीं था। आवेदन में ऐसे कोई कारण अंकित ही नहीं है, कि जिनके आधार पर दावे को पुनः नम्बर पर कायम किये जाने का कोई आदेश पारित किया जा सकता हो। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 8 में वर्णित तथ्य गलत है तथा उनसे इनकार है। आवेदन में ऐसे कोई कारण अंकित ही नहीं किये गये हैं, जिनके आधार पर न्यायालय सहानुभूतिपूर्वक विचार कर, प्रकरण को पुनः नम्बर पर कायम कर, गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु पुनः नम्बर पर कायम कर सके। प्रार्थना पत्र के

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:07:33 IST
Reason: Self Attested

पैरा संख्या 9 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 10 में वर्णित तथ्य गलत है तथा उनसे इनकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये हैं, वे ना तो उचित है और ना ही सद्भावी है और ना ही क्षमा किये जाने योग्य है, दावे को सही रूप से अदम हाजरी में खारिज किया गया है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 11 में वर्णित तथ्य असंगत है।

विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब, दस्तावेजात एवं कानूनी नजीरो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जाहिर किया है कि उनके द्वारा भी उपरोक्त उनवानी वाद की कोई जानकारी नही दी तथा ना ही वह कभी न्यायालय इत्यादी में गये। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वाद में वादी की साक्ष्य पूरी हो चुकी है तथा प्रतिवादी की साक्ष्य पूरी होने पर बहस अन्तिम वकीलसाहब ही करेंगे इसलिए अब आने की आवश्यकता नहीं है और निर्णय होने पर आपको सूचित कर बुला लिया जावेगा इस कारण प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता की राय से संतुष्ट होकर न्यायालय में आना बन्द कर दिया और अपने खेती के कार्य में व्यस्त हो गए। प्रार्थीगण काश्तकार व्यक्ति हैं तथा अपने कृषि कार्यों में व्यस्त रहते हैं जब लम्बे समय तक वकीलसाहब ने प्रतिवादीगण की साक्ष्य होने और निर्णय के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी और प्रार्थीगण वकीलसाहब के द्वारा दिए गये आश्वान पर भरोसा कर वकीलसाहब से भी नहीं मिले। काफी इन्तजार के बाद भी जब वकील साहब ने कोई सूचना नहीं दी तो प्रार्थीगण दिनांक 16.04.2025 को अपने वकील साहब से मिलने के लिए आये और उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी चाही तो वकील साहब ने उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01.2025 को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज होना बताया

अप्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया की वास्तव में वादीगण के अभिभाषक महोदय ने उन्हें ऐसा कोई आश्वासन दिया जाना सत्य प्रतीत नहीं होता। वादीगण की ओर से दावे की पैरवी पूर्ण होने के पश्चात् उक्त दावा दिनांक 9–7–2024 को ही वास्ते अंतिम बहस हेतु निर्धारित कर दिया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:07:33 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब, दस्तावेजात एवं कानूनी नजीरो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रयाप्त कारण बताते हुए जाहिर किया है कि उक्त दिवस को वह उपस्थित नहीं हो सके तथा प्रार्थीगण वकीलसाहब के द्वारा दिए गये आश्वान पर भरोसा कर वकीलसाहब से भी नहीं मिले। चूकि मामला बहुत पुराना है तथा बहस स्तर पर लम्बित है

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

हमने बहाली आवेदन के साथ–साथ सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत इसे दाखिल करने में देरी की माफी के लिए दायर प्रार्थना पत्र का भी अवलोकन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहाली के लिए आवेदन में, सभी प्रासंगिक तथ्य है वादी ने दिनांक 02.01.2025 को गैर–हाजिर रहने का पर्याप्त कारण बखुबी जाहिर किया है, बल्कि बहाली आवेदन दाखिल करने में देरी की माफी के लिए भी पर्याप्त कारण बताए गए हैं। **माननीय एन. मोहनदास बनाम दारासुरम प्रबंधन (2021):** *न्यायालय ने कहा कि, यह ध्यान में रखना चाहिये कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्गत पर्याप्त कारण शब्द एक लचीला शब्द है जो न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने की दृष्टि से विधि को सार्थक तरीके से लागू करने में सक्षम बनाता है।* विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य के माध्यम से **पंथपति सुब्बा रेड्डी (मृत) बनाम विशेष उप कलेक्टर (2024):** *उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कोई पक्षकार मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रति लापरवाह पाया जाता है, या उसकी ओर से सद्भावना का अभाव पाया जाता है, या पाया जाता है कि उसने तत्परता से कार्य नहीं किया है, या वह निष्क्रिय रहा है, तो विलंब को क्षमा करने के लिये कोई अन्य उचित आधार नहीं हो सकता।*

हमारा मत है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत पर्याप्त कारण की अवधारणा प्रक्रियागत विलंब के कारण अधिकारों के अन्यायपूर्ण वंचन के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। यह न्यायालयों को दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करने में सक्षम बनाता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि न्याय को केवल तकनीकी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाता है। इस प्रकरण में, विलंब के लिये क्षमा मांगने वाले प्रार्थी को अपने पक्ष को सही सिद्ध किया है तथा वाद अंतिम स्तर पर लम्बित है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र बाजदयारी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम/देरी से माफी स्वीकार किया जाकर मुलवाद 107/2011 बउनवानी बल्लूराम बनाम रघुनाथ को पुनः बहाल करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार होकर संलग्न पत्रावली रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:07:33 IST
Reason: SelfAttested